

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

तहसील... जेरी... नाम... श्री. (प्रा.)... को...

मुकदमा नं. F... 7... 5... 2... सन् २०१८

२०१८

हुकम या कार्यवाही मय तपुहस्ताधार जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>05/18 वकील वादिया -नी एभावता निजाणिया ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्र किया जाने। प्रतिवादी गठन की तलबी जारी सम्बन्ध की जाकर पत्रावली दिनांक 15/06/18 को पेश हो।</p>	
<p>15/18 पत्रावली पेश हुई। (पत्रावली 240) प्रतिवादी गठन की तालीम लौटकर नहीं आई है। अतः अंततः तालीम प्रतिवादी गठन पत्रावली दिनांक 04-07-2018 को पेश हो।</p>	
<p>07/18 पत्रावली पेश हुई। वकलात उप अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी होने पर अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदि आदेश आइन्दा दिनांक-14/09/18 को पेश हो।</p>	
<p>09/18 पत्रावली पेश हुई। वकलात उप अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी होने पर अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदि आदेश आइन्दा दिनांक 22/10/18 को पेश हो।</p>	
<p>10/18 पत्रावली पेश हुई। वकलात उप अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी होने पर अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदि आदेश आइन्दा दिनांक 08/01/19 को पेश हो।</p>	

08⁰¹/₁₉

पत्रावली फेर हई। उक्ताण में बाट-बाट
 आवाज लगावई गई। चकोल वादिया अस्था
 पदाकाशन में से कोर्ट भी हाजिर अदालत
 नहीं आया। अतः कार्यवाही उक्ताण अदम
 हाजिरी एवं अदम पैली में खारिज किया
 जाता हैं। पत्रावली फेरल शुभल होकर नम्बर
 से कम हो ल्या बाद तत्काल दाखिल
 दफ्तर हों। नियम प्रुने न्यायालय में
 सुनसा गया।



भारतीय राज्य
 (RAS)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) सपडेल